भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2097 का उत्तर

खानपान लाइसेंस का हस्तांतरण

2097. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे खानपान लाइसेंस धारक की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के नाम पर लाइसेंस हस्तांतरित करने में रेलवे कितना समय लेता है;

(ख) क्या प्रशासनिक स्तर पर कानूनी कार्यवाही और प्रक्रियाओं के कारण उत्तराधिकारी को इधर-उधर भटकना पड़ता है और ऐसे लाइसेंस हस्तांतरित होने में महीनों और वर्षों का समय लगता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लाइसेंस धारक की मृत्यु से लेकर लाइसेंस हस्तांतरित होने तक की अवधि, जिस दौरान इकाई बंद रहती है, के लिए लाइसेंस शुल्क लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई मामला सरकार के संज्ञान में आया है;

(ङ) उत्तर रेलवे के सोनीपत रेलवे स्टेशन पर स्थित इकाई के लिए उत्तराधिकारी के नाम पर लाइसेंस हस्तांतरित करने में कुल कितना समय लगा और जिस अवधि के दौरान उक्त इकाई बंद रही, उस अवधि के लिए कितनी लाइसेंस शुल्क राशि मांगी गई; और

sk

(च) इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और मृत्यु से पूर्व लाइसेंस हस्तांतरित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): कानूनी उत्तराधिकारी को लाइसेंस का हस्तांतरण खान-पान नीति 2017 के पैरा 18 के अनुसार किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारी को लाइसेंस का हस्तांतरण केवल मूल लाइसेंसधारी की मृत्यु की स्थिति में ही किया जा सकता है। लाइसेंस को संविदा की शेष अवधि के लिए ही कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर हस्तांतरित किया जाता है। लाइसेंस प्रभार करार की शर्तों के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

जब भी लाइसेंस हस्तांतरण के लिए ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो रेलवे द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों पर कार्रवाई में लगने वाला समय आवेदक द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

****

sk